न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्याः–225/2017/225 आरटीए

नत्थू सिहं पुत्र श्री प्रताप सिहं, आयु 81 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी लीलावाली, हाल नगराना, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. मनीराम पुत्र श्री नानूराम, जाति जाट, निवासी नगराना, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10.07.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) संगरिया, विविध राजस्व वाद संख्या–146/2014

उ*पस्थित*

1. श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता अपीलाटं
2. श्री के0एस0 खोसा, राजकीय अधिवक्ता

आदेश **दिनांकः–06.09.2018**

1. अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी संगरिया द्वारा विविध राजस्व संख्या 146/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की है। इस आदेश के अन्तर्गत अपीलांट की कृषि भूमि चक 6 एनजीआर तहसील संगरिया के पत्थर नम्बर 162/220 (30) के किला नम्बर 6,7,8 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है।
2. अपील से सम्बन्धित संक्षिप्त एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 21.11.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि चक 6 एनजीआर तहसील संगरिया के पत्थर नम्बर 162/220 (30) के किला नम्बर 1,2,9,10 होना व्यक्त करते हुये अपीलांट की कृषि भूमि पत्थर नम्बर 162/220 (30) के किला नम्बर 6, 7, 8 में से बिना कोई दिशा बताये 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। इस प्रकरण में अपीलांट दिनांक 10.04.2017 को उपस्थित आया तथा जबाव हेतु तारीख पेशी 08.05.2017 नियत हुई। तब तक तहसील से रिपोर्ट नहीं आई थी। दिनांक 08.05.2017 को यह पत्रावली पेशी में नहीं आई तथा राजस्व अभियान के दौरान अपीलांट की अनुपस्थिति में यह पत्रावली

Web Copy - Not Official

अभियान में रखते हुये दिनांक 10.07.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया है। अपीलांट इस आदेश को चुनौती देते हुये अपनी अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार बनाये बिना मनमाना व अनुचित आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली अपीलांट के जबाव व तहसील की रिपोर्ट हेतु दिनांक 08.05.2017 को नियत थी। दिनांक 08.05.2017 को यह पत्रावली पेशी में नहीं ली गई तथा अपीलांट का जबाव प्रस्तुत हुये बिना अपीलांट की पीठ पीछे यह पत्रावली राजस्व अभियान में रखी। राजस्व अभियान के समक्ष भी उपस्थिति हेतु अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.06.2017, दिनांक 07.07.2017 व दिनांक 10.07.2017 के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह आदेशिकाऐं एक ही दिन में लिखी गई है। आदेशिका दिनांक 28.06.2017 में अपीलांट की उपस्थिति दर्ज किये जाने व मौका पर जाकर निरीक्षण किये जाने के तथ्य मिथ्या हैं। अपीलांट ने यह तथ्य भी प्रकट किये हैं कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना–पत्र में अपनी समस्त भूमि का उल्लेख नहीं किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके सगे भाई बृजलाल की संयुक्त खाता की भूमि पत्थर नम्बर 162/219 (13) पत्थर नम्बर 163/219 (14), पत्थर नम्बर 164/220 (28), पत्थर नम्बर 163/220 (29), पत्थर नम्बर 162/220 (30), पत्थर नम्बर 161/220 (31), पत्थर नम्बर 162/221 (38), पत्थर नम्बर 163/221 (39), पत्थर नम्बर 164/221 (40), पत्थर नम्बर 164/222 (53) व पत्थर नम्बर 163/222 (54) में थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके भाई बृजलाल ने रास्ता–खाला की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये परस्पर खाता विभाजन नहीं किया। अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व उसके भाई बृजलाल व उसके परिवार के सदस्यों की जमाबन्दी व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है तथा यह तथ्य प्रकट किये हैं कि दोनों भाईयों ने रास्ता को सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये विभाजन नहीं किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 को उक्त वर्णित संयुक्त खाता की भूमि में से अपने सगे भाई बृजलाल की भूमि में से ही पत्थर नम्बर 162/220 (30) में स्थित अपनी भूमि के लिये रास्ता कानूनन प्राप्त हो सकता था तथा अब तक रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने भाई बृजलाल की भूमि पत्थर नम्बर 162/220 (30) के किला नम्बर 16–17–18, 19 व 12 से होते हुये अपनी भूमि में आवागमन जारी रखे हुये था तथा विधि अनुसार वह इसी रास्ता की मांग ही कर सकता था। अपीलांट ने यह तथ्य भी प्रकट किये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरन्दाज

किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पत्थर नम्बर 162/219 किला नम्बर 23 ता 25 व 162/220 के किला नम्बर 3 ता 5 में से वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित किया था तथा ऐसी स्थिति में उक्त भूमि से सम्बधित काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में याचित रास्ता अपीलांट की भूमि में से कभी नहीं चला।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर श्री रमेशपुरोहित अधिवक्ता उपस्थित आये लेकिन बहस के प्रक्रम पर भाग नहीं लिया।
4. बहस उभयपक्ष सुनी गई।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना–पत्र में अपनी भूमि खाता संख्या 103/90 के लिये रास्ता की मांग की है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व नजरी नक्शा से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि अपीलांट व उसके भाई बृजलाल की पूर्व में संयुक्त खाता की भूमि थी व दोनों भाईयों ने खाता विभाजन करवाया तथा खाता विभाजन में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी कृषि भूमि पत्थर नम्बर 162/219 (13) किला नम्बर 21, 22, पत्थर नम्बर 162/220 (30) किला नम्बर 1, 2, 9, 10 व पत्थर नम्बर 161/220 (31) के किला नम्बर 2 से 9 की भूमि के लिये आवागमन की सुविधा हेतु खाता विभाजन के वादपत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा। विधि अनुसार भी रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने भाई के साथ संयुक्त खाता की भूमि में से ही रास्ता की मांग कर सकता था। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी उक्त कृषि भूमि के लिये पत्थर लाईन पर रास्ता की मांग न कर मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 6, 7, 8 में से रास्ता स्वीकृत करने की मांग की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली अपीलांट के जबाव हेतु नियत थी तथा इसी बीच राजस्व अभियान में पक्षकारों को सुचना दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। तहसील की रिपोर्ट से भी यह स्थिति प्रकट हुई है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 को प्रस्तावित रास्ते के अलावा पत्थर नम्बर 162/219 के किला नम्बर 23 से 25 अथवा पत्थर नम्बर 162/220 के किला नम्बर 3 से 5 में से भी रास्ता दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील की रिपोर्ट में सुझाये गये वैकल्पिक रास्ता के सम्बन्ध में सम्बधित काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसील

की ओर से की गई अभिशषां को नजरन्दाज किया है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश हस्तक्षेप योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाती है कि वह अपीलांट को जबावदेही का समुचित अवसर देते हुये व तहसील रिपोर्ट के अनुसार पत्थर नम्बर 162/219 के किला नम्बर 23 से 25 व पत्थर नम्बर 162/220 के किला नम्बर 3 से 5 से सम्बधित खातेदारों को पक्षकार बनाते हुये उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभय दिनांक 28.09.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official